GJEPC INDIA

Sponsored by the Ministry of Commerce & Industry

Ref: GJEPC/Circular/2020-21/ Date: 29th July 2020

To,

All the Member Exporters,

Dear Sir/Madam,

Subject: Submission of Export Returns Quarterly in accordance to para 2.96 of Handbook of Procedures of Foreign Trade Policy 2015-20 by all members exporters

This is w.r.t para 2.96(b) of Handbook of Procedures of Foreign Trade Policy 2015-20, whereby exporters are required to furnish quarterly return /details of their exports of commodities to the concerned registering authority.

Accordingly, the GJEPC has been regularly asking its members to submit quarterly returns of the exports. However, it has been noted that many of the members are not furnishing such details and hence, technically are not complying with the RCMC norms as stipulated by the Government.

Based on the above observations, the GJEPC has devised an online mechanism to furnish the requisite Exports details quarterly by all GJEPC Member Exporters.

Steps for online submission of quarterly returns of Exports are as follows.

1. Visit https://gjepc.org/login.php
2. Log in the Member Dashboard
3. Click on the "Export/Import Quarterly Returns"
4. Then click on the "Submission Form"
5. You will see instructions for submitting the form.
6. Select the Quarter Year
7. Select "Yes" if exported in current quarter; otherwise select "No". Please note that after selecting "No"; you will be directed to submit the form.
8. If you select yes, the HS Code of the export/import commodities and the commodity description will come automatically.
9. You can select more than one Country of exports/imports.
10. Enter the value of "Exports (FOB)"/ "Imports (CIF)" either in USD/Euro
11. a). Enter the Carat (Diamonds & Lab Grown Diamonds & Synthetic Stones),
    b). Enter the Carat (Precious Stone)
    c). Enter the Carat (Semi Precious stone
    d) Enter the Grams (Pearls, Gold & Silver)

12. Mention suggestions/issues in Remarks box.
13. Click on Agree Terms & Condition
14. Click on "save as draft" if want to edit later or on "submit" to submit it immediately.

All the exporters/non-exporter members are informed to furnish the quarterly export returns for Q1(April to June 2020) of the FY2020-21 by 21st August 2020, Friday, 5:30 pm.

Please note we have added revised HS Codes for Precious and Semi-Precious Stones Product Category.

For Sales to Foreign Tourist you may select the following 8-digit Code. Sales to Foreign Tourist Code – 71000000 (This is not a HS code, for the ease of members to enter the value for the said category a simple code of 8 digit is added in the list).

If there are any queries you may please call at: 1800-103-4353 OR Visit GJEPC helpdesk at gjepcindia.com

1. Fill your details
2. Select

- Region
- Statistics Dept
- Export /Import Quarterly Return

With regards,

Yours faithfully,

Sd/-

Sabyasachi Ray
Executive Director

सं.क्र: जीजेईपीसी/सर्कुलर/2020-21// तारीख: 29 जुलाई 2020

परिषद के सभी सदस्यों के लिए,
महोदय,

विषय– विदेश व्यापार नीति201520 की हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर के पैरा2.96 के आधार पर प्रत्येक तिमाही निर्यात/ आयात रिटर्न जमा करने के बाबत।

यह विदेश व्यापार नीति 2015-20 की हैंडबुक ऑफ प्रोसिजर के पैरा 2.96(b) के संदर्भ में है, जिसके तहत सभी निर्यातकों को प्रत्येक तिमाही अपने निर्यात रिर्टन/ विवरण, संबंधित पंजीकरण अथॉरिटी को प्रस्तुत(जमा) करना आवश्यक है। जिसके लिए, जीजेईपीसी नियमित रूप से सदस्यों को प्रत्येक तिमाही निर्यात रिर्टन जमा करने के लिए आग्रह कर रहा है। लेकिन यह नोट किया गया है कि कई सदस्य निर्यात रिर्टन का विवरण प्रस्तुत नहीं कर तकनीकी रूप से सरकार द्वारा निर्धारित आऱसीएमसी नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं।

उपरोक्त अवलोकन (ऑब्ज़र्वेशन) के आधार पर, जीजेईपीसी ने प्रत्येक तिमाही आयात/ निर्यात की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अपने सदस्यों के लिए ऑनलाइन मैकेनिज्म तैयार किया है।

प्रत्येक तिमाही ऑनलाइन निर्यात / आयात रिटर्न जमा करनेके स्टेपस इस प्रकार हैं -

1. https://gjepc.org/login.php पर जाएं।

2. मेंबर डैश बोर्ड पर लॉग इन करें।
3. एक्सपोर्ट/ इम्पोर्ट क्वार्टरली रिटर्न पर क्लिक करें।
4. उसके बाद 'सबमिशन फॉर्म' पर क्लिक करें।
5. उसके बाद आप फॉर्म जमा करने से संबंधित निर्देश देख पाएंगे।
6. क्वार्टर वर्ष का चयन करें।
7. यदि वर्तमान तिमाही में निर्यात किया गया है तो हाँ का चयन करें, वर्ना ना का चयन करें। कृपा ध्यान दें कि ना का चयन करने के बाद, आपको फॉर्म जमा करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।
8. यदि आपके द्वारा हाँ का चयन किया जाता है तो, एक्सपोर्ट/ इम्पोर्ट के HS कोड का विवरण अपने आप आजाएगा।
9. आप एक्सपोर्ट/ इम्पोर्ट के लिए एक से ज्यादा देश का चयन कर सकते हैं।
10. ग्रॉस एक्सपोर्ट/ इम्पोर्ट का वैल्यू डाले, यूएसडी या यूरो में।
11. (a) कैरेट डाले (डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड व सिंथेटिक स्टोन) (b) कैरेट डाले (प्रीसियस स्टोन) (c) कैरेट डाले (सेमी प्रीसियस स्टोन) (d) ग्राम डालें (मोती, गोल्ड व सिल्वर)
12. आपके सुझाव या किसी भी सम्सया को रिमार्क्स बॉक्स में लिखें।
13. टर्म्स एंड कंडीशन पर सहमत बटन पर क्लिक करें।
14. सेव ड्राफ्ट करें, यदि बाद में आपको एडिट करना हो तो या फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

हर निर्यातक/ गैर- निर्यातक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 21 अगस्त 2020 शुक्रवार शाम 5.30 बजे तक वित्त वर्ष 2020-21 के Q1(अप्रैल से जून 2020) के लिए तिमाही रिर्टन जमा कर दिए जाए।

इसके अलावा कृपया ध्यान दें कि हमें प्रीसियस और सेमी – प्रीसियस स्टोन उत्पादन के लिए अलग से रिवाइजट HS कोड भी जोड़ा है।

विदेशी पर्यटकों को बिक्री के लिए आप निम्नलिखित 8 अंकों का कोड चुन सकते हैं –

विदेशी पर्यटक कोड की बिक्री - 71000000 (यह एचएस कोड नहीं है, सदस्यों की आसानी के लिए उक्त श्रेणी के लिए मूल्य दर्ज करने के लिए 8 अंकों का एक सरल कोड सूची में जोड़ा गया है)।
इस विषय पर किसी भी तरह की जानकारी हेतु ***– आप हमारे कॉल सेंटर1800-103-4353 पर संपर्क कर सकते हैं। और***

1. ***अपनी जानकारी भरें***
2. ***अपने बारे में***
    - रीजिन
    - स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट
    - एक्सपोर्ट / इम्पोर्ट क्वार्टरली री -टर्न

धन्यवाद सहित,
सादर
Sd/-
सब्यासाची राय
कार्यकारी निदेशक